e-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (जमुई) संविदा – 35/2022 4195 पटना, दिनांकः– 09/05/2023

आदेश

दिनांक 14.12.2022 को निदेशालय मुख्यालय स्तर से बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई के अन्तर्गत शिविर खैरा–03 का जूम बैठक के माध्यम से समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री अमृत राज (Emp.ID-SKN00619), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को आवंटित शिविर का प्रदर्शन अपेक्षाकृत प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस आलोक में श्री राज से कार्य के प्रति लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। संबंधित कर्मी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके स्पष्टीकरण में उठाये गए तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है। पुनः दिनांक 19.04.2023 को जूम बैठक में इनके शिविर के सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त इनके शिविर का प्रदर्शन अपेक्षाकृत प्रगति संतोषजनक नहीं पाया गया है। इस प्रकार सुस्त प्रगति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा सर्वेक्षण कार्य में शिथिलता बरती जा रही है।

अतः कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में एवं भविष्य में सर्वेक्षण कार्य में प्रगति लाने के दृष्टिगत श्री अमृत राज (Emp.ID-SKN00619), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का तत्काल 15 (पन्द्रह) दिनों का मानदेय कटौती की जाती है।

साथ ही भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है कि यदि इसकी पुनरावृत्ति होती है तो नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (जमुई) संविदा – 35/2022 4195 पटना, दिनांक 09/05/2023

प्रतिलिपि :– श्री अमृत राज (Emp.ID-SKN00619), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (जमुई) संविदा – 35/2022 4195 पटना, दिनांक 09/05/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0 (जमुई) संविदा – 35/2022 4195 पटना, दिनांक 09/05/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R के अन्तर्गत संधारित व्यक्तिगत संचिका में संधारित करें।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Jyoti-2023\Bablu Sir\Order\Director\35-2022 30-04-2023-2 Amrit.doc